प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 04.12.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.11.2025 को थाना मुरादनगर पर आवेदक इसरार अहमद पुत्र इकबाल निवासी आर्यनगर बिलाल मस्जिद थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई कि आवेदक के साथ अभियुक्त गण 1. सलीम पुत्र स्व0 लतीफ 2- रियाजुद्दीन पुत्र स्व0 लतीफ निवासीगण सक्को वाली गली मौहल्ला कच्ची सराय थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा साजिश कर धोखाधडी से फर्जी बैनामा के कागजात तैयार कर प्लाट का बैनामा करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं 318(4)/338/336(3)/316(2)/340(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसमें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 04.12.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तगण 1. सलीम पुत्र स्व0 लतीफ निवासी सक्को वाली गली मौहल्ला कच्ची सराय थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 68 वर्ष को गन्दा नाला लंकापुरी का पुल मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया व 2. अभियुक्त रियाजुद्दीन पुत्र स्व0 लतीफ निवासी सक्को वाली गली मौहल्ला कच्ची सराय थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष को थाना क्षेत्र मुरादनगर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि हमनें लालच वश आवेदक को बैनामा करते समय साजिश के तहत धोखाधडी से फर्जी कागजात तैयार कर बैनामा कराया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अभियुक्त सलीम पुत्र स्व0 लतीफ निवासी सक्को वाली गली मौहल्ला कच्ची सराय थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद हाल पता किराये का मकान सी लैन गन्दा नाला लंकापुरी का पुल मोदीनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 68 वर्ष।
2. अभियुक्त रियाजुद्दीन पुत्र स्व0 लतीफ निवासी सक्को वाली गली मौहल्ला कच्ची सराय थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त सलीम के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर पूर्व में 01 अभियोग धोखाधडी का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमन्चा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस बरामद।

दिनांक 30.11.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि अभियुक्त प्रदीप पुत्र स्व0 जयवीर उर्फ जग्गे निवासी नगला बैर थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद के द्वारा वादी के घर पर आकर चारपाई पर लेटी वादी की बहन को गाली गलौज करते हुए हाथ में लिए हुए तमन्चे से वादी की बहन को जान से मारने की नियत से गोली मार दी व जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 333/109(1)/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 04.12.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रदीप पुत्र स्व0 जयवीर उर्फ जग्गे निवासी नगला बैर थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद को थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक तमन्चा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। बरामदी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 3/25/27 आर्मस एक्ट की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मैं 10-11 वर्ष से वादी की बहन को जानता था और हमारी दोस्ती भी थी अब जब उसकी शादी कही और तय हो गयी थी तो मेरे द्वारा वादी की बहन से मुझसे शादी करने के लिये कहा गया तो वह नही मानी तो मैंने आवेश में आकर उसके घर जाकर उसे गोली मार दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप पुत्र स्व0 जयवीर उर्फ जग्गे निवासी नगला बैर थाना भोजपुर कमि0 गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त एक तमन्चा 315 बोर व 1 खोखा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 14.10.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि गांव जलालाबाद के जंगल में खेडे मंदिर से आगे बाये तरफ चकरोड़ के पास खेत में गौ वंशो के अवशेष पडे हैं। अज्ञात लोगों द्वारा गौ वंशो की हत्या कर अवशेषो को यहा डाल दिया। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.10.2025 को पुलिस मुठभेड में गोकशी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. हनीफ 2. हबीब 3. इकरार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 04.12.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त गौकशी की घटना में वांछित अभियुक्त अब्दुल पुत्र अली हसन निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष को गंगनहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर जलालाबाद गांव के गन्ने के खेत में लावारिस घूमने वाले 08 गोवंश को पकड़ कर गोकशी की घटना कारित की थी, वहाँ से मांस को दिल्ली ले जाकर बेच दिया था। मैं पूर्व में भी थाना भोजपुर से जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अब्दुल पुत्र अली हसन निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अब्दुल के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर गौवध निवारण अधिनियम का 01 अभियोग तथा थाना भोजपुर पर डकैती से संबंधित 02 अभियोग एवं गैंगस्टर का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा ढाका, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप में प्रतिभाग करने वाली म0आरक्षी को सम्मानित किया गया।

भारत ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को 35-28 से पराजित कर विश्व विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। इस ऐतिहासिक जीत में कमिश्नरेट गाजियाबाद में नियुक्त म0आरक्षी अनु कुमारी ने शानदार प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश पुलिस बल एवं देश का नाम रोशन किया।

उनके उत्कृष्ट योगदान एवं अद्वितीय खेल कौशल को देखते हुए पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अनु कुमारी को ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) पुरस्कार से सम्मानित कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि अनु कुमारी ने न केवल गाजियाबाद पुलिस का गौरव बढ़ाया है बल्कि पूरे देश को गर्वान्वित किया है। उनका यह प्रदर्शन पुलिस बल के अन्य कर्मियों एवं युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट अनु कुमारी को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा अपहृर्त की हत्या की घटना कारित करने वाली वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 18.09.2025 को थाना खोड़ा पर वादिया का लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 16/09/2025 को घर से बिना बताये चले जाने को लेकर वादिया के पुत्र लक्ष्य प्रजापति पुत्र मनवीर प्रजापति निवासी शिव पार्क खोडा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र करीब 12 वर्ष की गुमशुदगी के सम्बन्ध में धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अपहर्त लक्ष्य उपरोक्त का सकुशल बरामदगी हेतु टीमें गठित करते हुये थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा, मैनुअल इनपुट एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या की घटना जाँच के क्रम में कैमरों में लक्ष्य उपरोक्त एक बाइक के साथ पैदल भागता हुआ तथा ई-रिक्शा पर जाता हुआ दिखायी दिया। लक्ष्य उपरोक्त के जाने के समय आसपास अभियुक्त युवराज बाइक से सभी कैमरों में दिखायी दिया। इसी आधार पर अभियुक्त युवराज से सख्ती से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने वादिया के पुत्र की हत्या करना स्वीकार किया जिसकी पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। आज दिनांक 04.12.2025 उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त युवराज उर्फ यश प्रजापति की माता नवरत्न पत्नी ओमवीर निवासी शिव पार्क खोड़ा कॉलोनी का नाम भी प्रकाश में आया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 137(2) बीएनएस में धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्ता नवरत्न उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मनवीर मेरे जेठ है एवं बबीता जेठानी है तथा लक्ष्य उन्ही का बेटा था। मनवीर ट्रक ड्राईवर है जो बाहर ही रहते हैं उनके घर का सारा कामकाज एवं सामान लाना आदि सभी काम यश उर्फ युवराज करता था। मनवीर का एटीएम कार्ड एवं अन्य बैंक सम्बन्धी दस्तावेज यश उर्फ युवराज के पास ही रहते थे। मेरे जेठ के कहने पर ही मैंने व मेरे बेटे यश उर्फ युवराज ने मुकेश नाम के प्रोपर्टी डीलर को मनवीर के मकान का सौदा 23 लाख 50 हजार रुपये में कराया था और बयाना के तीन लाख रुपये मैंने व युवराज ने ही लिये थे जो हमने अपने काम में लगा दिये थे। साहब मुझे पैसों का लालच आ गया था। मेरे जेठ का इकलौता बेटा लक्ष्य ही था। हमने सोचा कि अगर इसे ठिकाने लगा दिया जाए तो मेरे जेठ की सारी सम्पत्ति हमारी हो जायेगी। इसीलिए मैंने ही अपने बेटे यश उर्फ युवराज को लक्ष्य को ठिकाने लगाने के लिए कहा था। साहब गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नवरत्न पत्नी ओमवीर सिह पुत्री श्री किशन चन्द्र नि0 अग्रवाल स्वीट के पास शिव पार्क आर सी 103 खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना खोडा पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।